श्री सुधीर कुमार, (भा०प्र०से०), आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 19.01.2016 को अनुमंडल कार्यालय एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कार्यालय, बनमनखी का किये गए निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

अनुमंडल कार्यालय, बनमनखी

1. परिचय :–

इस अनुमंडल का सृजन पूर्णियाँ सदर, अनुमंडल से कट कर दिनांक 30.07.1994 में हुआ। यह अनुमंडल पूर्णियाँ जिला मुख्यालय से पश्चिम, लगभग 32 किलो मीटर की दूरी पर पूर्णियाँ–सहरसा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या – 107 पर उत्तर तरफ नव निर्मित सरकारी भवन में अवस्थित है। इस अनुमंडल के पूरब में अनुमंडल सदर, पूर्णियाँ, पश्चिम में मुरलीगंज प्रखंड, जिला – मधेपुरा, उत्तर में रानीगंज एवं भरगामा प्रखंड, जिला – अररिया तथा दक्षिण में धमदाहा अनुमंडल है। यह अनुमंडल अपना वास्तविक कार्य दिनांक 23.12.1994 से स्वतंत्र रुप से करना प्रारंभ किया है।

DS
112
29/3/16
सचिव, राजस्व पर्षद
25.3.16

इस अनुमंडल के संबंध में अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार है :–

- कुल जनसंख्या :– (दिनांक 01.01.15 की अर्हता तिथि के आधार पर) – 277539
- कुल पुरुषों की संख्या :– 145190
- कुल महिलाओं की संख्या :– 132343 अन्य– 06
- कुल राजस्व ग्रामों की संख्या :– 110
- चिरागी गाँवों की संख्या :– 97
- बेचिरागी गाँवों की संख्या :– 13
- कुल हल्कों की संख्या :– 12
- पंचायत की संख्या :– 27
- वार्ड की संख्या :– 393
- जिला परिषद् के प्राधिकृत निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या :– 04
- नगर पंचायत की संख्या :– 01
- अनुमंडल का क्षेत्र फल :– 37242.10 हेक्टेयर
- कुल भूमि का रकवा :– 91987.99 एकड़
- गैर मरजरुआ आम :– 1714.86 एकड़
- गैर मजरुआ खास भूमि :– 1549.39 एकड
- कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या :– 139
- कुल मध्य विद्यालयो की संख्या :– 37
- कुल उच्च विद्यालयों की संख्या :– 08
- कुल महा विद्यालयों की संख्या :– 04
- कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों की संख्या :– 01
- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों की संख्या :–02

  कुल उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या :– 47
- अनुमंडलीय अस्पताल की संख्या :– 01
- कुल बैंकों की संख्या :– 11

(क) स्टेट बैंक :– 03 (ख) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक :– 04 (ग) कॉ–ऑपरेटिव बैंक :– 01
(घ) युनाईटेड बैंक :– 02(ड.) सेन्ट्रल बैंक :– 01

- कुल थानों की संख्या :– 03

अनुमंडल अंतर्गत अवस्थित महाविद्यालय/उच्च विद्यालय आदि कहाँ–कहाँ अवस्थित है, इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी से जानकारी ली गई। बंद पड़े चीनी मिल के संदर्भ में भी चर्चा की गई। बनमनखी के मुख्य सड़क पर यातायात काफी सघन है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी में ही रहते हैं। किन्तु इन पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का आवासीय भवन निर्मित नहीं है। इन पदाधिकारी के लिए आवास निर्माण हेतु आवश्यक प्रस्ताव भेजे जाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। कोशी कॉलोनी, बनमनखी में सरकारी आवास में रहने वालों के बारे में जानकारी देने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी आवास अवैध कब्जे में तो नही है।

2. कार्यालय भवन :–

अनुमंडल कार्यालय, बनमनखी नव निर्मित भवन में दिनांक 16.03.2011 से कार्यरत है। इस भवन में तीन तलों का निर्माण हुआ है। नीचले एवं बीच तले पर अनुमंडल कार्यालय के विभिन्न शाखाओं तथा सबसे ऊपरी तले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी का कार्यालय अवस्थित है। वर्त्तमान में इस नव निर्मित भवन के निचले तल में बायी ओर के कमरे में लोक सेवा का अधिकार का कॉउन्टर, निर्वाचन शाखा एवं न्यायालय कक्ष अवस्थित है एवं दायी ओर से अनुमंडल व्यवहार न्यायालय एवं प्रखंड आपूर्त्ति कार्यालय अवस्थित है। बीच के तले में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय कक्ष, सभा कक्ष, कार्यपालक दंडाधिकारी का कार्यालय कक्ष, अनुमंडल कार्यालय अवस्थित है। ऊपरी तले में सभा कक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय एवं कक्ष अवस्थित है।

अनुमंडल कार्यालय भवन के कई महत्वपूर्ण कमरों का निरीक्षण किया गया। निर्वाचन कक्ष में फोटोग्राफी की सुविधा नहीं है। नया ईपिक यहाँ नहीं बनता है। ईपिक के पुराने फोटो को बदलने का कार्य यहाँ नहीं किया जाता है। अनुमंडल कार्यालय भवन बड़ा है जिसमें काफी जगह है। अनुमंडल कार्यालय भवन के चहारदीवारी का निर्माण कार्य हो रहा है। कार्यालय भवन एवं परिसर साफ–सुथरा पाया गया परतु अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में धूल पाया गया।

3. प्रभार:–

इस अनुमंडल में प्रारंभ से लेकर अब तक पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0	अनुमंडल पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन की अवधि	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*
1	श्री देव नारायण मेहता, बि0 प्र0 से0	30.07.94 से 22.12.94 (अतिरिक्त प्रभार)	
2	श्री गन्दुर उरांव, बि0 प्र0 से0	23.12.94 से 05.02.99	
3	श्री राम बुझावन चौधरी, बि0 प्र0 से0	05.02.99 से 25.08.2000	
4	श्री देवी दयाल प्रसाद, भा0 प्र0 से0	25.08.2000 से 28.10.2000	
5	श्री राम बुझावन चौधरी, बि0 प्र0 से0	29.10.2000 से 13.01.2004	
6	श्री उदयकांत झा, बि0 प्र0 से0	13.01.2004 से 14.01.2004	
7	मो0 सईउद्दीन शाह, बि0 प्र0 से0	14.01.2004 से 17.12.2004	
8	श्री तुलसी हजरा, बि0 प्र0 से0	17.12.2004 से 05.09.2006	
9	श्री केशव कुमार सिंह, बि0 प्र0 से0	05.09.2006 से 23.10.2009	
10	डॉ0 अजय पाण्डेय, बि0 प्र0 से0	23.10.2009 से 15.02.2010	
11	श्री संजय प्रियदर्शी, बि0 प्र0 से0	16.2.2010 से 04.04.2010	
12	डॉ0 मनोज कुमार झा, बि0 प्र0 से0	04.04.2010 से 16.04.2013	
13	श्री दिनेश कुमार मंडल, बि0 प्र0 से0	16.04.2013 से 13.02.2014	
14	श्री मनोज कुमार, बि0 प्र0 से0	13.02.2014 से अब तक	

श्री सच्चिदानंद सुमन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी के पद पर पदस्थापित हैं एवं श्री अनिल कुमार साह, कार्यपालक दंडाधिकारी, बनमनखी के पद पर पदस्थापित है। जानकारी मिली कि कार्यपालक दंडाधिकारी न्यायालीय कार्य करते हैं।

4 (क) संवर्गवार स्वीकृत ,कार्यरत एवं रिक्ति संबंधी प्रतिवेदन निम्न पकार है :–

क्र0	सम्वर्ग का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अनुमंडल पदाधिकारी	01	01	शून्य
2	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	01	01	शून्य
3	कार्यपालक दंडाधिकारी	01	01	शून्य
4	प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी	01	(प्रभारी)	01
5	प्रधान लिपिक	01	01 (प्रभारी)	01
6	लिपिक	04	03	01
7	आशुलिपिक	01	शून्य	01
8	चालक	01	01	शून्य
9	अनुसेवक	04	03	01
10	रात्रि प्रहरी	01	शून्य	01

इस प्रकार इस अनुमंडल में एक प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, एक आशुलिपिक, एक प्रधान लिपिक, एक लिपिक एवं एक रात्रि प्रहरी का पद रिक्त है।

4.(ख) राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद पर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की विवरणी निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई:–

क्र0	कर्मी का नाम	पदनाम	योगदान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मो0 आसिफ	लिपिक (प्रधान लिपिक के प्रभार में)	04.07.13	
2	श्री रतन कुमार	लिपिक	03.07.15	
3	श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी	लिपिक	14.07.14	
4	श्री संजीव कुमार	चालक	07.02.07	
5	श्री विद्यानंद यादव	कार्यालय परिचारी	05.01.09	
6	श्री योगेन्द्र राम	कार्यालय परिचारी	28.04.11	
7	श्री अजय कुमार सिंह	कार्यालय परिचारी	19.05.15	
8	श्री नन्द किशोर रजक	आई0 टी0 सहायक (संविदा	25.08.14	
9	नवाब मिनहाज अली	कार्यपालक सहायक (संविदा)	22.07.11	
10	शमशीर खान	कार्यपालक सहायक (संविदा)	06.10.12	
11	कुमारी निधि	कार्यपालक सहायक (संविदा)	25.02.13	
12	श्री विवेक	डाटा इन्ट्री आपरेटर (संविदा)	10.09.13	

प्रभारी प्रधान लिपिक, लेखा पास हैं और वे नाजीर भी हैं। एक ही व्यक्ति प्रधान लिपिक एवं नाजीर दोनों के प्रभार में नहीं होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। पदस्थापित तीन लिपिकों में से श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, लिपिक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय के सम्पूर्ण कार्यो हेतु प्रभार में है। शेष दो लिपिकों के द्वारा ही अनुमंडल कार्यालय के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

आई0 टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक संविदा पर हैं और ये सभी आर0टी0पी0एस0 एवं निर्वाचन के अधीन है। श्री नंद किशोर रजक, आर0टी0पी0एस0 के लिए हैं। आर0टी0पी0एस0 के अंतर्गत स्वीकृत पदों की विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

5. पूर्व निरीक्षण:–

अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस अनुमंडल का पूर्व में निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :–

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम पद नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त करने की तिथि	अनुपालन का पत्रांक /दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री केशव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी	28.03.2008	23.08.2008	अनुपालित
2	डॉ0 मनोज कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी	7.09.2011	08.09.2011	अनुपालित
3	डॉ0 एन सरवण कुमार, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	3.04.2012	25.04.2012	अनुपालित

पूर्व निरीक्षण से संबंधित रक्षी संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि इनमें दीमक लग रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निरीक्षण से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन दिया गया। यह विहित प्रपत्र में संधारित पाया गया और अनुपालन प्रतिवेदन भी भेजा गया है। इसका सत्यापन पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिवेदित करेंगे।

इस अनुमंडल का निरीक्षण पूर्व में वर्ष 2007 में श्री आर0 के0 खण्डेलवाल, भा0प्र0से0 तत्कालीन आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा किया गया है परंतु इसके बारे में निरीक्षण संलेख में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उक्त निरीक्षण से संबंधित रक्षी संचिका की माँग की गई, जिसे उपलब्ध कराया गया। उसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनुपालन प्रतिवेदन रक्षी संचिका में संधारित नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त निरीक्षण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन को रक्षी संचिका में अविलम्ब संधारित कराया जाय।

6. पत्राचार:–

गत तीन वर्षो में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई :–

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1	2013	2187	3754
2	2014	2618	3780
3	2015	2487	5060
4	2016 (दिनांक 14.01.16)	97	146

आगत एवं निर्गत पंजी का अवलोकन किया गया। आगत एवं निर्गत पंजी संधारित है परन्तु, सभी कॉलम विधिवत नहीं भरे जाते है। आगत एवं निर्गत पंजी का संधारण समुचित रूप से नहीं किया जाता है। निदेश दिया गया कि आगत एवं निर्गत पंजी पंजी का संधारण समुचित रूप से करें तथा उसके सभी कॉलम नियमानुसार भरना सुनिश्चित किया जाय।

7. अनुक्रमण पंजी:–

अनुमंडल कार्यालय में उपलब्ध अनुक्रमण पंजी का अवलोकन किया गय। अनुमंडल कार्यालय में मुख्य अनुक्रमण पंजी संधारित नहीं है। निदेश दिया गया कि मुख्य अनुक्रमण पंजी का संधारण कराया जाय।

8. सेवा पुस्त पंजी:–

यह पंजी संधारित है। इस कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की संख्या –07 है। सातों कर्मियों का सेवा पुस्त उपलब्ध है। इन कर्मियों का नाम इसमें दर्ज है। कुछ कर्मचारियों के सेवापुस्त का अवलोकन किया गया।

श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, सहायक की सेवा दिनांक 31.12.95 तक सत्यापित है तथा छुट्टी लेखा दिनांक 12.03.08 तक अद्यतन है। श्री संजीव कुमार, जीप चालक की सेवा 31.12.15 तक सत्यापित है और छुट्टी लेखा दिनांक 12.03.08 तक अद्यतन है। श्री अजय कुमार सिंह, अनुसेवक की सेवा दिनांक 31.12.15 तक सत्यापित है। मो0 आसिक, सहायक की सेवा दिनांक 31.12.2015 तक सत्यापित है। सभी कर्मियों के छुट्टी लेखा को अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

9. स्टाफ पंजी :–

यह पंजी संधारित है, जिसमें कार्यरत कर्मियों का पूर्ण विवरण अंकित है।

10. कर्म पुस्तिका :–

सभी लिपिकों का अलग–अलग कर्म पुस्त संधारित है। कर्मचारियों के कर्म पुस्तिका का अवलोकन किया गया। श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, सहायक के पिछले वर्ष के कर्म पुस्तिका का अवलोकन किया गया जो अद्यतन पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी आगत पत्रों को संबंधित लिपिकों के कर्मपुस्ती में चढ़ाया जाय एवं उसे ससमय निष्पादित कराया जाय।

11. रक्षी संचिका :–

रक्षी संचिका संधारित है। प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग रक्षी संचिका संधारित की गई है। जिसमें महत्वपूर्ण पत्रों को चिपकाया जाता है।

सामान्य रक्षी संचिका का अवलोकन किया गया जो वर्ष 2011 से संधारित है। आवंटन का रक्षी संचिका संधारित है जिसका अवलोकन किया गया।

12. उपस्थिति पंजी :–

यह पंजी संधारित है।

13. आकस्मिक अवकाश पंजी :–

यह पंजी संधारित है तथा इसमें अवकाश पर गये कर्मियों की छुट्टी दर्ज की जाती है।

14. कार्यालय आदेश पंजी :–

यह पंजी संधारित है। जिसमे समय–समय पर आदेश निर्गत किये जाते हैं। इस पंजी का अवलोकन किया गया।

15. कार्य तालिका :–

लिपिकों के बीच कार्य बंटवारा किया गया है, जो उनके कुर्सी के पीछे लगा हुआ पाया गया।

16. प्रधान लिपिक नोट बुक :–

यह पंजी संधारित है।

17. रिपोर्ट रिटर्न :–

रिपोर्ट रिटर्न नियमित रुप से प्रत्येक माह भेजी जाती है।

18. पेंशन/सेवा निवृति लाभ संबंधित मामला:–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में सेवा निवृत कर्मी का कोई मामला लंबित नही है। एक मामला स्व0 संजय कुमार मिश्र, भूतपूर्व प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी का जिसमें उनके उत्तराधिकारी को औपबंधिक मृत्यु सह उपादान, छुट्टी वेतन एवं ग्रुप बीमा का भुगतान किया गया है। अंतिम भविष्य निधि निकासी लंबित है, जिसे भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

19. विपत्र पंजी :–

यह पंजी संधारित है। जिसमें कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि अंकित है।

20. मेशेजर पंजी(कोषागार दूत पंजी) :–

यह पंजी संधारित है।

21. वेतन भुगतान पंजी :–

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। वेतन भुगतान पंजी का अवलोकन किया गया। सभी कर्मियों का वेतन बैंक एकाउन्ट में जाता है। मासिक वेतन विवरणी कर्मचारियों को देने की व्यवस्था करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया । यह व्यवस्था प्रमंडलीय कार्यालय में भी करने का निदेश दिया गया।

22. लोक सभा/विधान सभा प्रश्नावली:–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोई मामला लंबित नहीं है।

23. सी0 डब्लु0 जे0 सी0/एम0 जे0 सी0 :–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सी0 डब्लु0 जे0 सी0 से संबंधित एक मामला लंबित है, जिसमें अंचल अधिकारी, बनमनखी को तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु निदेश दिया गया है। एम0 जे0 सी0 का कोई मामला लंबित नहीं है।

24. मानवाधिकार आयोग पंजी :–

यह पंजी संधारित है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मानवाधिकार आयोग के तीन मामले में से दो का तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजा गया है। एक मामला लंबित है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जाँच में दी गई है।

25. जन शिकायत पंजी :–

यह पंजी संधारित है। माननीय मुख्यमंत्री/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी महोदय स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजी में दर्ज किया जाता है। प्राप्त मामलों की विवरणी निम्न प्रकार बताई गई–

क्र0	किस स्तर से प्राप्त हुआ।	प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम	प्राप्त परिवाद पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद पत्रों की संख्या	लंबित परिवाद पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री जन शिकायत	अनुमंडल पदाधिकारी	82	50	32
		भू0 सु0 उप समाहर्त्ता	39	26	13
2	आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ	अनुमंडल पदाधिकारी	45	30	15
		भू0 सु0 उप समाहर्त्ता	16	11	05
3	जिला जन शिकायत कोषांग	अनुमंडल पदाधिकारी	60	40	20
		भू0 सु0 उप समाहर्त्ता	143	64	79

मुख्यमंत्री स्तर से प्राप्त बहुत सारे मामले लंबित है। आयुक्त कार्यालय स्तर से भी प्राप्त अनेक मामले लंबित हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि लंबित परिवाद पत्रों को जाँच हेतु संबंधित पदाधिकारी को भेजा गया है तथा इस संबंध में उन्हें स्मारित करने की कार्रवाई की जा रही है।

निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री स्तर एवं आयुक्त कार्यालय स्तर से प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर अनुमंडल पदाधिकारी अविलम्ब अपना प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दें। एक आवेदक श्री बीजो राय के मामले में समझौता के माध्यम से समाधान कराने का निदेश भी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

26. सूचना का अधिकार पंजी :–

यह पंजी संधारित है।

27. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पंजी:–

यह पंजी संधारित है जिसका अवलोकन किया गया। इसमें स्थानान्तरित कर्मियों की अंतिम भुगतान संबंधी विवरणी अंकित की जाती है। पंजी के अनुसार किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।

28. राजस्व न्यायालय :– राजस्व न्यायालय के कुछ अभिलेखों का अवलोकन किया गया। बी0एल0डी0आर0 के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आर0एस0 खतियान के आधार पर निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कार्यालय, राजस्व शाखा :–

(I) राजस्व ग्राम की विवरणी :– बनमनखी अंचल अन्तर्गत कुल राजस्व ग्राम की संख्या 110 है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०	अंचल का नाम	राजस्व ग्रामों की संख्या	चिरागी राजस्व ग्रामों की संख्या	बेचिरागी राजस्व ग्रामों की संख्या
01	बनमनखी	110	97	13

(II) भू–राजस्व लगान वसूली 2015–16 :– वर्ष 2015–16 में राजस्व लगान का निर्धारित लक्ष्य एवं वसूली का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०	अंचल का नाम	कुल माँग	कुल वसूली	कुल वसूली प्रतिशत	कोषागार में की गयी जमा राशि
01	बनमनखी	10912505=00	3591291=00	33 प्रतिशत	3150191=00

पिछले वर्ष का रिटर्न–1 भेज दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 33 प्रतिशत ही वसूली हुआ है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर हैं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा जानकारी दी गई कि रसीद नहीं रहने के कारण कम वसूली हुई हे। अंचल अधिकारी, बनमनखी को लगान वसूली में तेजी लाने हेतु वृहत प्रचार–प्रसार करते हुए एवं बड़े बकायेदारों को नोटिस निर्गत करते हुए वसूली कार्य करने तथा प्रतिदिन हर हल्का में मौजावार कैम्प कर लगान वसूली कार्य करने का निदेश दिया गया।

(III) भू–बन्दोवस्ती – भू–बन्दोवस्ती से संबंधित अद्यतन ब्यौरा निम्न प्रकार बताया गया–

क्र०	अंचल का नाम	भू–बन्दोवस्ती योग्य सरकारी भूमि का रकवा (एकड में)	कुल वितरित भूमि का रकवा (एकड़ में)	अवशेष (एकड़ में)	अभ्युक्ति
01	बनमनखी	गैरमजरुआ मालिक – 1172.01	1172.01	शून्य	
		गैरमजरुआ आम – 172.01	172.01	शून्य	

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वितरण योग्य कुल भूमि का उपलब्ध रकवा 555 एकड़ है। अतएव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि वे भू बंदोबस्ती योग्य सरकारी भूमि एवं कुल वितरित भूमि की जाँच/समीक्षा कराकर सही विवरण उपलब्ध करावेंगे।

(IV) सैरात :– इस अंचल अन्तर्गत कुल 16 सैरात है जिसमें अंचल स्तर से 06 सैरात तथा अनुमंडल स्तर से 10 सैरात की बन्दोबस्ती किया जाता है। ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्र०	अंचल का नाम	कुल सैरातों की संख्या	कुल बन्दोवस्त सैरातों की संख्या	कुल लंबित सैरातों की संख्या	परता घोषित सैरातों की संख्या	अभ्युक्ति
01	बनमनखी	अंचल स्तर – 06	05	01	–	लंबित सैरातों की विभागीय वसूली की जा रही है।
		अनुमंडल स्तर–10	02	08	–	
	कुल	16	07	09	–	

9 सैरातों की बंदोबस्ती कार्य नहीं हुई है।

वर्ष –2015–16 में सैरात वसूली का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र०	अंचल का नाम	कुल सैरात की संख्या	कुल बन्दोवस्त सैरातों की संख्या	कुल माँग	कुल वसूली
01	बनमनखी	अंचल स्तर – 06	05	11948	10046
		अनुमंडल स्तर–10	02	3428209	2349070
	कुल	16	07	3440157	2359116

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि अनुमंडल स्तर से 02 सैरात की बन्दोवस्ती की गई है शेष सैरातों की विभागीय वसूली की जा रही है, जिन सैरातों की बंदोबस्ती नहीं हुई है, उन सैरातों का पुनः बंदोबस्ती के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु अंचल कार्यालयों में भ्रमण के दौरान तथा अनुमंडल राजस्व बैठक में अंचल अधिकारी, बनमनखी को निदेशित किया गया है। साथ ही बंदोबस्ती राशि वसूली करने तथा जमा राशि को कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया है।

सरसी बस स्टैण्ड में विभागीय वसूली की जा रही है जिसमें अभी तक की वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में जाँच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ को दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी को निदेशित किया गया कि जिन सैरातों में विभागीय वसूली की जा रही है, उसमें यह सुनिश्चित किया जाय कि विभागीय वसूली किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित जमा की राशि से कम न हो।

(V) भूदान :– भूदान से प्राप्त एवं वितरित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र०	अंचल का नाम	भूदान से प्राप्त भूमि का रकवा (एकड़ में)	कुल वितरित भूमि का रकवा (एकड़ में)	अवशेष (एकड़ में)	अभ्युक्ति
01	बनमनखी	कुल प्राप्त –633.46	624.57	8.89	

वितरण हेतु अवशेष भूमि का रकबा 8.89 एकड़ है। यह जमीन सरसी के पास है। भूदान यज्ञ समिति के पास जितनी जमीन अवितरित है इसका विवरण भेजने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को दिया गया।

(VI) भू–हदबंदी :– भू–हदबंदी के तहत अर्जित एवं वितरित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०	अंचल का नाम	प्रारंभ से अबतक अर्जित भूमि का रकवा	प्रारंभ से अबतक वितरित भूमि का रकवा	अवशेष भूमि वितरण हेतु लंबित	अभ्युक्ति
01	बनमनखी	4517.00¾	4036.05¾	480.95	

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा जानकारी दी गई कि भू–हदबंदी के तहत अर्जित जमीन के संबंध में कतिपय मामला न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड में लंबित रहने के कारण अवशेष भूमि के वितरण की कार्रवाई नहीं हो पाई है।

(VII) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत :– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर मामलों का पंजी संधारित है एवं कुल वादों की संख्या एवं निष्पादित वादों का ब्यौरा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया–

क्र0	कुल वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	426	395	31	अंचल अधिकारी, बनमनखी द्वारा 11 वादों का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, बनमनखी को निदेश दिया गया है।

BLDR के अंतर्गत 31 मामला लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि इन मामलों का नियमानुसार निष्पादन निर्धारित समयावधि के अंदर सुनिश्चित किया जाय। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से BLDR Act के तहत 15 A लागू होने के विन्दु पर चर्चा की गई है।

(VIII) धारा 48 ई0बी0टी0 एक्ट के तहत :– 48 ई0बी0टी0 एक्ट के तहत दायर मामलों का पंजी संधारित है एवं कुल वादों की संख्या एवं निष्पादित वादों का ब्यौरा :–

क्र0	कुल वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	237	87	150	अंचल कार्यालय, बनमनखी को समझौता बोर्ड गठन में भेजे गये 49 अभिलेखों का प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, बनमनखी को निदेश दिया गया है।

कुछ अभिलेखों का अवलोकन किया गया। निदेश दिया गया कि इन मामलों में निर्णय वास्तविक दखल–कब्जाधारी को देखते हुए किया जाय। इन अभिलेखों की समीक्षा करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी को दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि 48 डी के प्रावधान को सतर्कता से लागू किया जाय।

IX) **नामांतरण अपील** :– नामांतरण अपील के तहत दायर मामलों की पंजी संधारित है एवं कुल वादों की संख्या एवं निष्पादित वादों का ब्यौरा निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया :–

क्र0	कुल वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	146	93	53	वर्तमान माह में अबतक छः वाद सुनवाई हेतु रखा गया है। दस वादों का LCR उपलब्ध कराने हेतु निम्न न्यायालय को निदेश दिया गया है।

(X) **एरिया सिलिंग** :– एरिया सिलिंग 16(3) के तहत दायर मामलों का पंजी संधारित है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा कुल वादों की संख्या एवं निष्पादित वादों का ब्यौरा निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया :–

क्र0	कुल वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	4	2	2	

निदेश दिया गया कि एरिया सिलिंग से संबंधित वादों में मात्र सर्वे के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाय। वरन् आदेश पारित करने के पूर्व दोनों पक्षों को सूचना देकर स्थल निरीक्षण अवश्य किया जाय।

(XI) **भू–हदबंदी के तहत धारा 22(1)** :– भू–हदबंदी के धारा 22(1) तहत दायर मामलों का पंजी संधारित है एवं कुल वादों की संख्या एवं निष्पादित वादों का ब्यौरा :–

क्र0	कुल वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
01	68	0	68	

धारा 22 (1) के मामलों में स्थल जांच करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि Notificaion के बाद धारा 22 (1) का वाद नहीं लें।

(XII) **सी०डब्लू०जे०सी० / एम०जे०सी०** :– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि 01 मामला लंबित है जिसका तथ्य विवरणी तैयार किया जा रहा है।

(XIII) **विधान सभा / लोक सभा प्रश्नोत्तर** :– कोई भी मामला लंबित नहीं हैं।

(XIV) **लोकायुक्त से संबंधित मामला** :– कोई भी मामला लंबित नहीं हैं।

(XV) **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण तथा भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदन तथा निष्पादन संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–**

क्र०	आवेदन का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2015–16 मे प्राप्त आवेदन	वित्तीय वर्ष 2015–16 मे निष्पादित आवेदन	लंबित
01	नामान्तरण	4747	4360	387
02	भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र	1931	1858	73

(XVI) **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित अपील :–**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय कार्रवाई में नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों/कर्मियों से विधिवत अभिलेख खोलकर अर्थ दंड लगाया गया है। तथ्य संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क्र0	अंचल का नाम	वाद संख्या	दण्ड की राशि	कर्मी का नाम जिन्हें अर्थ दंड दिया गया है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
01	बनमनखी	01/2015–16	4750.00	अजित शर्मा अंचल सहायक	दंड की राशि अंचल अधिकारी, बनमनखी के द्वारा वसूल की जा रही है।
			18250.00	योगेन्द्र मिस्त्री अंचल सहायक	
02		02/2015–16	4750.00	अजित शर्मा अंचल सहायक	
03		03/2015–16	2000.00	अजित शर्मा अंचल सहायक	

वर्त्तमान पदस्थापित उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, बनमनखी द्वारा दिनांक 26.12.2015 एवं 07.01.2016 को बनमनखी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है।

(XVII) **भू–विवाद** :– अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी की अध्यक्षता में उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, बनमनखी के साथ भू–विवाद के निष्पादनार्थ प्रत्येक माह के हर शनिवार को अंचल अधिकारी, बनमनखी एवं संबंधित थानाध्यक्ष के साथ भू–विवाद की बैठक संबंधित थाना में की जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि छोटे–छोटे विवाद पर पैनी नजर रखते हुए उसके निष्पादन का सतत् प्रयास किया जाता है। पुराने एवं जटिल विवादों की भू–विवाद निर्देशिका तैयार करने हेतु अंचल अधिकारी, बनमनखी को निदेशित किया गया है।

<u>अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी के राजस्व न्यायालय में संधारित वादों की स्थिति निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई :–</u>

क्र0 सं0	दायर वाद का प्रकार	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या	लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	धारा 48 D.B.T ACt	06	01	05	
2	सिलिंग वाद {धारा–22(1)}	68	00	68	

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय में विभिन्न राजस्व वादों की स्थिति निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई :–

क्र0 सं0	वाद का प्रकार	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या	लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	बि0 भू0 वि0 नि0 अधि0–2009	426	395	31	
2	नामान्तरण अपील वाद	146	93	53	
3	धारा 48 E.B.T Act	237	87	150	
4	एरिया सिलिंग 16(3)	4	2	2	
	योग :–	813	577	236	

29. नीलाम पत्र वाद :–

अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में चल रहे नीलाम पत्र वादों का ब्यौरा निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया :–

क्र0 सं0	बैंक/सरकारी संस्था जिनके द्वारा वाद दायर किया गया	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या	लंबित वादों की संख्या	लंबित वादों में सन्निहित राशि	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	एस0 बी0 आई0, बनमनखी	03	0	03	4.58	
2	यू0 बी0 आई0	0	0	0	0.00	
3	सेन्ट्रल बैंक	0	0	0	0.00	
4	एस0 बी0 आई0, चौपड़ा बाजार	10	0	10	22.46	
5	एस0 बी0 आई0, सरसी	02	0	02	3.00	
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी	03	0	03	16.62	
7	अंचल अधिकारी	03	0	03	13.46	

निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र वादों में विधिवत सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किया जाय।

30. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित वाद :– अनुमंडल न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दायर/लंबित वादों की स्थिति निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई :–

क्र0 सं0	वादों का प्रकार	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या	लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	धारा – 107	240	170	70	
2	धारा – 144	21	10	11	
3	धारा – 145	75	05	70	
4	धारा – 133	0	0	0	
5	धारा – 147	2	1	1	
6	धारा – 188	11	1	10	
	योग :–	349	187	162	

निदेश दिया गया कि सी0आर0पी0सी0 के तहत जिन वादों का निष्पादन होता है उसे बी0एल0डी0आर0 एक्ट के तहत निष्पादित नहीं किया जाय। सी0आर0पी0सी0 के तहत 70 मामला लंबित बताया गया।

निदेश दिया गया कि दूर्गापूजा, छठ आदि के अवसर पर धारा 107 के अंतर्गत दायर किये गये वादों में यदि वादी द्वारा कोई घटना नहीं की गई है तो उनके विरूद्ध ऐसे मामले तुरंत समाप्त कर दिये जायें। छः माह से अधिक दिनों एवं छः माह से कम दिनों वाले ऐसे मामलों की विस्तृत विवरणी तैयार कराकर उपलब्ध कराने का निदेश भी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

31. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाः—

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पेंशन की स्वीकृति से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गयाः—

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	जाँचोपरान्त स्वीकृत आवेदनों की संख्या	जाँचोपरान्त अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	कार्यालय में स्वीकृत हेतु लंबित आवेदनों की संख्या	अभ्युक्ति
1	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1242	1013	229	शून्य	
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	376	326	50	शून्य	
3	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	341	310	31	शून्य	
	कुल :—	1959	1649	310		

32. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :—

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2015—16 में कुल 168 अभिलेखों का निष्पादन किया गया है। अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गयाः—

क्र0 सं0	प्रखंड से प्राप्त आवेदनों की संख्या		जाँचोपरान्त स्वीकृत आवेदनों की संख्या	जाँचोपरान्त अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	कार्यालय में स्वीकृत हेतु लंबित आवेदनों की संख्या	कुल	अभ्युक्ति
	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन					
1	15—16	168	63	105	शून्य	168	

33. निर्वाचनः—

निर्वाचन शाखा संयुक्त अनुमंडल कार्यालय के प्रथम तल पर पश्चिम से अवस्थित है। निर्वाचन शाखा में लिपिक के पद पर श्री रतन कुमार अक्टुबर—2015 से पदस्थापित हैं। इस अनुमंडल में अवर निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है। 59— बनमनखी (अ0 जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रा अन्तर्गत सम्पूर्ण बनमनखी प्रखंड एवं बी0 कोठी प्रखंड के 11 पंचायत पड़ते है। है। 59— बनमनखी (अ0 जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रा अन्तर्गत कुल मतदान केन्द्रों की संख्या—246 है,जिसमें बनमनखी प्रखंड में मतदान केन्द्रों की संख्या—01 से183 तक जबकि बी कोठी प्रखंड में मतदान केन्द्रों की संख्या — 184 से 246 तक है तथा कुल मतदाताओं की संख्या— 276403 जिसमें पुरुष मतदाताओं की सं0—144673, महिला मतदाताओं की संख्या—131724 एवं अन्य मतदाताओं की संख्या—06 है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में आगामी पंचायत निर्वाचन—2016 की तैयारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमनखी के साथ समय—समय पर बैठक कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिशा—निर्देश दिया जा रहा है तथा सभी पद हेतु आरक्षण एवं आवंटन संबंधी प्राप्त सूची का गहन जाँच कर जिला स्तर पर गठित टीम को समर्पित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि 27 पंचायतों के मतदान केन्द्रों का जांच कर लिया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आसन्न पंचायत चुनाव के सफल संचालन हेतु, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाय एवं समय–समय पर इसका अनुश्रवण किया जाय।

34. आपूर्ति :–

आपूर्ति शाखा संयुक्त अनुमंडल कार्यालय के प्रथम तल पर पश्चिम से अवस्थित है। आपूर्ति शाखा में लिपिक के पद पर श्री रतन कुमार अक्टुबर–2015 से पदस्थापित हैं। बनमनखी प्रखंड अन्तर्गत श्री जयमंगल सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बनमनखी के पद पर पदस्थापित हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनमनखी के प्रभार में श्री राघवेन्द्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमनखी हैं। इस प्रखंड/अनुमंडल अन्तर्गत मे0 रामदेव ट्रे0 कं0, बनमनखी किरासन तेल थोक विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं/ठेला भेंडरों को किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। इस अनुमंडल में एक सहायक खाद्य राज्य गोदाम अवस्थित है।

बनमनखी प्रखंड/अनुमंडल अन्तर्गत कार्यरत ठेला भेंडरों की संख्या –09 है जबकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की कुल संख्या–118 है।

बताया गया कि राशन कार्ड हेतु आर0टी0पी0एस0 के तहत आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहें है।

निदेश दिया गया कि 118 अनुज्ञप्तिधारियों का विस्तृत विवरण दिया जाय कि कितने निज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शिकायत आया है और उसपर क्या कार्रवाई की गई है।

35. लोक सेवाओं का अधिकार:–

लोक सेवाओं के अधिकार के तहत दिनांक 15.01.16 तक कुल प्राप्त 11517 सेवाओं के विरुद्ध 11505 सेवाओं का निष्पादन किया गया है। लोक सेवाओं के अधिकार संबंधी आवेदन पत्रों के निष्पादन का प्रतिवेदन निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया :–

सेवा का नाम	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	समयानुसार निष्पादित आवेदनों की संख्या	नियत समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद निष्पादित आवेदनों की संख्या	नियत समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद लंबित आवेदनों की संख्या	निस्तार हेतु लम्बित आवेदन	दंडित किए गए लोक सेवकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जाति प्रमाण पत्र	5755	5750	0	0	05	0
आय प्रमाण पत्र	1865	1861	0	0	04	0
आवासीय प्रमाण पत्र	3897	3902	0	0	03	0
राशन कार्ड	0	0	0	0	0	0
कुल	**11517**	**11505**	**0**	**0**	**12**	**0**

36. रोकड़बही की अद्यतन स्थिति :–

रोकड़ बही दिनांक 15.01.16 तक अद्यतन है। पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

क0	शीर्ष का नाम	अन्तशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	2015 निर्वाचन	594075.74	
2	विविध	1816492.51	
3	2053 जिला प्रशासन	–शून्य–	
4	2029 भू–राजस्व	–शून्य–	
5	2235 सामाजिक सुरक्षा	3147672.00	
6	3456 आपूर्त्ति	2,14,805.30	

7	चीनी मील, बनमनखी	68,295.00	
8	2202 शिक्षा	169106.00	
9	2245 प्राकृतिक आपदा	5,95,000.00	
	कुल योग	6605446.55	

(मो0 छियासठ लाख पाँच हजार चार सौ छियालीय रुपये पचपन पैसे मात्र)

निर्वाचन मद में 594075.74 रू0 है। इसमें कितनी राशि कार्यालय व्यय मद की है, और कितनी राशि Nomination Paper की बिक्री से प्राप्त है। यह सब्सिडियरी कैश बुक से स्पष्ट नहीं है। इन राशियों का विस्तृत विवरणी तैयार नहीं की गई है। जमानत जप्ति से प्राप्त राशि की भी विवरणी तैयार नहीं की गई है।

अतएव निदेश दिया गया कि निर्वाचन मद में उपलब्ध राशि का मदवार ब्रेक–अप तैयार करवाया जाय। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि निर्वाचन मद की जो राशि चालान द्वारा जमा की जानी है, उस राशि को चालान के माध्यम से सुसंगत शीर्ष में अविलंब जमा कराया जाय।

विविध मद में 1816492.51 रू0 की राशि दिखाई जा रही है। इसका भी पूर्ण विवरणी तैयार नहीं किया गया है। निदेशित किया गया कि इस मद की जो भी राशि चालान से जमा की जा सकती है उसे जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब समर्पित किया जाय।

➢ राशि का व्योरा :–

क्र0	बैंक का नाम/अन्यत्रा	खाता संख्या	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक, बनमनखी	11607546347	939588.20
2	भारतीय स्टेट बैंक, पूर्णियाँ	10954137991	4442976.89
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बनमनखी	1007201110000050	953.30
4	अग्रिम		55,600.00
5	अभिश्रव		1163116.05
6	नगद		3212.11
		कुल योग :–	6605446.55

(मो0 छियासठ लाख पाँच हजार चार सौ छीयालीय रुपये पचपन पैसे मात्र)

अभिश्रव के रूप में 1163116.05 रू0 है जो काफी अधिक है। अभिश्रव किस शीर्ष के अंतर्गत है यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभिश्रवों का शीर्षवार विवरणी तैयार नहीं किया गया है। अभिश्रव पंजी का अवलोकन किया गया। दिनांक 31.03.2014 को 2,97,000 रू0 का अभिश्रव था जो दिनांक 31.07.2015 को बढ़कर 5,45,000 रू0 हो गया। किन्तु, निरीक्षण की तिथि तक अभिश्रव 11,00,000 रू0 से अधिक हो गया है। इतना अभिश्रव लंबित क्यों है यह पुछने पर प्रधान लिपिक–सह–सहायक नाजिर ने बताया कि मार्च, 2015 में निकासी नहीं होने के कारण अभिश्रव बढ़ गया है।

निदेश दिया गया कि शीर्ष वार अभिश्रवों की विवरणी तैयार कर इसके सामंजन/भुगतान की नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अग्रिम के रूप में 55,600 रुपया है। अग्रिम राशि का शीघ्र समायोजन करा लिये जाने का भी निदेश दिया गया।

आवंटन पंजी का भी अवलोकन किया गया।

<u>अन्यान्यः–</u> सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन इत्यादि के बारे में विचार–विमर्श किया गया। पेंशन हेतु आर0टी0पी0एस0 के तहत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी के कार्यालय में आवेदन पत्र लिया जाता है।

निदेश दिया गया कि ससमय पेंशन भुगतान पर विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि पेंशनधारियों को कोई परेशानी न हो सके। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि माह अप्रैल–2016 से पेंशन की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से किया जाएगा।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी से हल्का निरीक्षण के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अभी तक किसी हल्का का निरीक्षण नहीं किया गया है। वे सितम्बर, 2015 से इस अनुमंडल में पदस्थापित हैं। अंचल अधिकारी, बनमनखी द्वारा 03 हल्का का निरीक्षण किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ हल्कों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन दें एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करावें।

अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में लैण्ड लाईन टेलीफोन नहीं है। इसे लगाने हेतु निदेश दिया गया।

सरसी के निकट एक विद्यालय के बच्चों को बाहर में पढ़ते हुए देखे जाने के संदर्भ में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विद्यालय को अपना भवन नहीं है। इस विद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी लेने एवं यदि विद्यालय के पास अपना भवन नहीं है तो विद्यालय भवन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

निष्कर्ष:-

अनुमंडल कार्यालय का कार्यकलाप पूर्णतः संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। पत्र प्राप्ति पंजी एवं निर्गत पंजी का संधारण भली भांति नहीं किया जा रहा है। अनुक्रमणी पंजी के अनुसार संचिकाओं का संधारण नहीं किया जा रहा है। जनता दरबार से संबंधित मामलों का पूर्ण निष्पादन भी लंबित है। रोकड़ बही के विविध मद में अठारह लाख से अधिक राशि पड़ी हुई है। अभिश्रव के रूप में ग्यारह लाख से अधिक राशि पड़ी हुई है, जिसका सामंजन अभी तक नही हुआ है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय में भी बहुत सारे वाद लंबित है।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी व्यक्तिगत ध्यान देकर इन मामलों का निष्पादन करावें तथा निरीक्षण टिप्पणी में दिए गए निदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 22.3.2016
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1369 / दिनांक 26-3-16

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी /अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ /संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ /आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22.3.2016
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1369 / दिनांक 26-3-16

प्रतिलिपि:- 1 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22.3.2016
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1369 / दिनांक 26-3-16

प्रतिलिपि:- 1 मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2 अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22.3.2016
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

संजय
O/C